डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)

पत्रांकः लो0अ0वि0 / डी0एस0डब्लू0 / 2022 / 1169

Date: 15/06/2022

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य / प्राचार्या, सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय / संस्थान, डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

विषयः निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 23.05.2022 को बैठक की कार्यवृत्ति के सम्बन्ध में

महोदय / महोदया,

जिला समाज कल्याण अधिकारी, अयोध्या के संलग्न पत्र संख्या सी–805 / स0क0 / दशमो0छा0 / 2022–23 दिनांक 9.06.2022 के क्रम में निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 23.05.2022 को वित्तीय वर्ष 2022–23 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय / एफिलिएटिंग एजेन्सी के स्तर मास्टर डेटा को सही ढंग से पूर्ण करने तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु बैठक सम्पन्न हुई।

अतः उक्त बैठक की कार्यवृत्ति संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि अपने संस्थान में कार्यवृत्ति में दिये गये बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

सधन्यवाद,

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(उमा नाथ)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

1. नीजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव, कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. प्रभारी ई0डी0पी0 / प्रोग्रामर को इस आशय से प्रेशित कि उक्त पत्र संलग्नक के साथ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के लागिन में अपलोड करने का कष्ट करें।

(उमा नाथ)
कुलसचिव

8
9-6-22

निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में दिनाँक 23—05—2022 को वित्तीय वर्ष 2022—23 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर पर मास्टर डाटा को सही ढंग से पूर्ण करने तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु आहूत बैठक की कार्यवृत्तः—

समाज कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/विद्यालयों में दशमोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का वितरण प्रतिवर्ष बजट की उपलब्धता की सीमा तक नियमावली में निर्धारित प्राविधानों व वरीयताओं के अनुसार किया जाता है। छात्रवृत्ति वितरण में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर विचार—विमर्श किया गयाः—

1- मास्टर डाटा में प्रत्येक शिक्षण संस्थान को वर्ष 2022—23 के लिए जारी समय सारिणी में दी गयी निर्धारित समयावधि में समस्त सूचनाओं (संस्थान का समस्त विवरण, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम का वर्षवार पूर्णांक (सेमेस्टर होने की दशा में दो सेमेस्टर जोडकर एवं सक्षम स्तर से निर्धारित फीस) को अपडेट करते हुये नोडल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक कराने सहित समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने तथा छात्रवृत्ति से सम्बंधित समस्याओं के निराकरण हेतु यह बैठक/कार्यशाला आयोजित की गयी है।

2- मास्टर डाटाबेस में वही शिक्षण संस्थान/विद्यालय सम्मिलित हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता/सम्बद्धता दिनांक 15 जुलाई 2022 तथा इससे पूर्व की होगी।

3- सभी शिक्षण संस्थान अपने यहां अध्ययनरत छात्र का अनिवार्य रूप से आधार कार्ड बनवाना एवं नामांकन संख्या (प्रथम वर्ष को छोडकर) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। कोई भी आवेदन बिना आनलाइन आधार जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) के (नवीनीकरण के छात्रों को छोड़कर) भरा नहीं जा सकेगा तथा आधार सीडेड व मैप्ड बैंक खाता होने पर ही धनराशि का अंतरण कराया जायेगा।

श्री धनंजय सिंह कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
जिला समाज कल्याण अधिकारी
फैजाबाद। 9-6-22

4- समस्त संस्थान/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी मास्टर डाटा में पाठ्यक्रम सम्मिलित कराने, परिवर्तन करने या अन्य कार्यवाही हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारियों के माध्यम से अपना अनुरोध निदेशक, समाज कल्याण को निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।

5- वित्तीय वर्ष 2022—23 में जारी नियमावली के अनुसार शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त सभी संस्थान निर्धारित आय सीमा व नियमों में आने वाले पात्र

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रवेश निःशुल्क लेंगे। ऐसे छात्रों का छात्रवृत्ति आवेदन संस्थान द्वारा अग्रसारित करते समय फ्री शिप कार्ड जारी हो जाएगा। शुल्क की धनराशि प्राप्त होते ही छात्र द्वारा 07 दिन के अन्दर संस्थान में जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

6- विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित कतिपय कोर्सों की फीस निर्धारित नहीं की गयी है, जिस कारण उक्त कोर्सो की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने यहाँ संचालित कोर्सो का शुल्क निर्धारण करा लें, जिससे छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाना संभव हो सके।

7- जनपद आजमगढ, अलीगढ एवं सहारनपुर में नये राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी है एवं उन विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्ध जनपदों में संचालित संस्थान वर्षवार विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी का नाम अंकित कर सकेगें। उपरोक्त 03 विश्वविद्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से मास्टर डाटा में नाम सम्मिलित कराने हेतु समुचित प्रस्ताव कार्य क्षेत्र सहित तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8- **Result Yet Not Declared** का आप्शन छात्र को आनलाइन आवेदन में पास एवं प्रोन्नत आप्शन के अलावा आप्शन दिया गया है तथा ऐसा डाटा संदेहास्पद डाटा के रूप में ही प्रदर्शित होगा तथा छात्र का परीक्षाफल सन्देहास्पद डाटा को सही करने की दी गई समयावधि में छात्र द्वारा पूर्ण करके आवेदन को दोबारा फाइनल सब्मिट करना होगा तथा संस्था को भी परीक्षा परिणाम की पुष्टि करते हुए समयान्तर्गत अग्रसारित करना अनिवार्य होगा।

9- समस्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जानी है। समस्त संस्थान शिक्षा सत्र 2022–23 से बायोमेट्रिक मशीन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करा लें, जिससे कि भारत सरकार के निर्देशानुसार तथा छात्रवृत्ति नियमावली में दिये गये निर्देशों के अनुसार आधार बेस्ड अटेन्डेन्स सिस्टम लागू हो सके।

10- मैनेजमेंट कोटा/स्पॉट एडमिशन के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों को छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं है। सभी विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी अपने सम्बद्ध संस्थानों को यह अवगत करा दें कि किसी भी अपात्र छात्र का आवेदन अग्रसारित न करें।

11- सभी विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी अपने सम्बद्ध संस्थानों को यह अवगत करा दें कि प्रत्येक संस्थान के लिए यू0डाइस कोड भरा जाना अनिवार्य है, इसलिए सही यू0डाइस कोड का अंकन मास्टर डाटा में करें। यदि किसी के पास यू0डाइस कोड न हो तो उसे तत्काल प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

बिना यू0डाइस कोड के भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की धनराशि नहीं प्रदान की जाएगी।

12- जिन पाठ्यक्रमों का शुल्क सक्षम स्तर से निर्धारित नहीं है वहां पर प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के नियमित पाठ्यक्रम की न्यूनतम धनराशि देय है एवं 75 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थिति रखने वाले छात्र ही छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

13- निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश योग्यता स्नातक है, के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति के लिये न्यूनतम अंक 50 (सामान्य वर्ग के लिए 55 प्रतिशत) प्रतिशत होना आवश्यक है।

अनुसूचित जाति के सभी पात्र छात्रों को वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत ही 40 प्रतिशत राज्यांश राज्य सरकार द्वारा तथा 60 प्रतिशत केन्द्रांश केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के पात्र छात्रों को निर्धारित वरीयता एवं उपलब्ध बजट के अनुसार धनराशि देय होती है।

14- हाई स्कूल रोल नं0/आय व जाति प्रमाण पत्र व आवेदन क्रमांक सही होने पर ही अग्रसारण, अनिवार्य शुल्क, बैंक खाता, आई0एफ0एस0 कोड तथा ब्रांच का नाम, पाठ्यक्रम व पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम का पूर्णांक एवं विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी का सही अंकन संस्थानों द्वारा किया जाना आवश्यक है। सभी विश्वविद्यालय /एफिलियेटिंग एजेंसी अपने से सम्बद्ध संस्थानों को इस संबंध में सूचित करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करायें, जिससे कि अपात्र छात्र को संस्थान स्तर पर ही रिजेक्ट हो सके।

15- विश्वविद्यालयों एवं एफिलियेटिंग एजेंसियों से समय से परीक्षाफल की घोषणा एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया गया।

16- सभी शिक्षण संस्थानों में नोडल अधिकारी/प्रधानाचार्य तथा अन्य संबंधित अधिकारियों, जो कि छात्रवृत्ति का डाटा ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से अग्रसारित करते हैं, उनके डिजिटल हस्ताक्षर को प्रथम बार जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होगा।

17- प्रत्येक संस्थान में छात्रवृत्ति हेल्प डेस्क व **Facilitation Centre** खोले जाने के भी निर्देश दिये गये।

- **बैठक में प्रस्तुत की गयी समस्याएं:–**

1– संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन (आई0टी0आई0), आगरा मण्डल, आगरा द्वारा यह अवगत कराया गया कि आई0टी0आई0 विद्यालयों के आवंटित कोड को भी भरने की सुविधा दी जाये, जिससे कि कोड नम्बर से विद्यालयों की मान्यता का मिलान किया जा सके। एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा साफ्टवेयर में यह व्यवस्था कराये जाने का निर्णय लिया गया।

2– नोडल अधिकारी, डॉ0 भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा यह अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर पर शिक्षण संस्थानों की सूची जनपदवार प्रदर्शित किये जाने पर उसे लॉक किये जाने में सुविधा होगी। एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा साफ्टवेयर में यह व्यवस्था कराये जाने का निर्णय लिया गया।

3– समीक्षा बैठक में पं0 मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि निःशुल्क प्रवेश पाये हुए छात्र छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के उपरान्त विद्यालय से गायब हो जाते हैं, जिस कारण उक्त धनराशि संस्थान को प्राप्त नहीं हो पाती है। अनुरोध किया गया कि छात्रवृत्ति नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ऐसे छात्रों पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

4- निदेशक, उ0प्र0 हौम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि निःशुल्क प्रवेश पाये हुए छात्र प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उपरान्त अन्य पाठ्यक्रम यथा – एम0बी0बी0एस0 अथवा बी0डी0एस0 में प्रवेशित होने पर छात्रवृत्ति पाने वाला कक्षाओं में हो जाता है तो वे छात्रवृत्ति एदं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि लेकर अन्य संस्थानों में अध्ययन करने लगते हैं। छात्रवृत्ति नियमावली में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।

5– समीक्षा बैठक में कतिपय प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र माता–पिता अथवा अभिभावक का ही होना चाहिए। निर्देश दिये गये कि इसके लिए छात्रवृत्ति नियमावली में स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है, जिसके अनुसार रोजगार प्राप्त छात्र के साथ–साथ उसके परिवार की समस्त स्त्रोतों से आय को गणना में लिया जाएगा, तदनुसार कार्यवाही करें। यदि किसी छात्र द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र में कोई संदिग्धता प्रकट होती है तो उसकी जांच सम्बन्धित तहसील एवं जनपद से करायी जाए।

6– विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा सम्बंधित महाविद्यालयों में सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों के सापेक्ष ही सत्यापन एवं अग्रसारण की कार्यवाही के संबंध में यह अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा लॉक की गयी सीटों की संख्या के अनुसार ही अग्रसारण करने की सीमा साफ्टवेयर में सम्मिलित करते हुये उसे लागू करवा दिया जाए, तो सुविधा होगी। एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा साफ्टवेयर में यह व्यवस्था कराये जाने का निर्णय लिया गया।

7– सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 के छात्रों के हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्रों का लाइव मिलान छात्रों द्वारा दिये गये आवेदन पत्र में डाटा

अंकित करते समय ही किया जाना है। तद्नुसार उक्त कार्यवाही हेतु सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 बोर्डों के डाटा को ए0पी0आई0 के माध्यम से इंटीग्रेट करने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

निदेशक, समाज कल्याण द्वारा सभी समस्याओं के निराकरण एवं त्वरित कार्यवाही हेतु राज्य एन0आई0सी0, संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सभी कुलसचिव/सचिव से यह अपेक्षा की गयी कि उनके द्वारा मास्टर डाटा तत्परता से समय-सारिणी में दी गयी निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए तथा पोर्टल पर मांगी गयी सूचनाओं को भी समय से पूर्ण कराने की कार्यवाही विश्वविद्यालय /एफिलियेटिंग एजेंसी से सम्बद्ध संस्थानों से सुनिश्चित करें। यह भी अपेक्षा की गयी कि संबंधित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी परीक्षा परिणाम समय से घोषित करते हुये पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क की धनराशि समय से प्राप्त हो सके।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।

(राकेश कुमार)
निदेशक।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-ए-16 /स0क0/जे0डी0(टी0)/बैठक/कार्यवृत्त/2022-23,
लखनऊ : दिनांक :07 जून, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग।
2. उप महानिदेशक/राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण।
4. समस्त कुलसचिव/सचिव, विश्वविद्यालय(केन्द्रीय एवं राज्य) एवं एफिलियेटिंग एजेंसी उत्तर प्रदेश।
5. संयुक्त निदेशक/योजनाधिकारी छात्रवृत्ति।
6. समस्त संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. सहायक निदेशक(छात्रवृत्ति) सह प्रभारी छात्रवृत्ति।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

07/6/2022

(राकेश कुमार)
निदेशक।